अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी एण्ड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 जुलाई, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए जून, 2021 माह का मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **जून, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी
(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. सहायक निदेशक, राजभाषा प्रभाग।

उपभोक्ता मामले विभाग
जून, 2021 माह का मासिक सार

जून, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप/निर्णय।

1. दालों की उपलब्धता बढ़ाना :

1.1 16 जून, 2021 को मालावी से तूर का 50,000 एमटी का कोटा आयात करने तथा 18 जून, 2021 को म्यांमार से तूर का 1.5 एलएमटी और उड़द का 2.5 एलएमटी का कोटा आयात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया था। इससे पहले मोजाम्बिक, तंजानिया, मालावी, केन्या और सूडान से आयात द्वारा दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 11 जून, 2021 को इन देशों के उच्चायुक्तों के साथ विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

2. दालों पर आयात प्रतिबंधों में ढील देना:

2.1 सरकार ने एक बड़े नीतिगत निर्णय में तूर, उड़द और मूंग को 15 मई, 2021 से तथा 31 अक्तूबर, 2021 तक प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर रखा है, ताकि दालों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि की जा सके और इस प्रकार कीमतें कम रखी जा सकें। संगत समस्याओं के समाधान के लिए डीजीएफटी के साथ आयातकों की संयुक्त बैठक हुई थी। खेप की निकासी की प्रगति की समीक्षा के लिए विभाग ने संबंधित एजेंसियों – सीमा शुल्क, एफएसएसएआई और पादप संरक्षण संगरोध (डीएसीएफडब्ल्यू) के साथ साप्ताहिक बैठकें आयोजित कीं।

2.2 नामोदिष्ट पोर्टल पर दालों के भंडार (स्टॉक) की घोषणा की स्थिति की नियमित आधार पर निगरानी की गई और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां स्टॉक घोषणा कम देखी गई थी, वहां अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई की गई। 4226 संस्थाओं जिन्होंने 31 मई, 2021 की स्थिति के अनुसार, 14.86 एलएमटी स्टॉक घोषित किया था, 30 जून, 2021 की स्थिति के अनुसार संस्थाओं की ये संख्या बढ़कर 7369 हो गई जिन्होंने 24.91 एलएमटी स्टॉक की घोषणा की। माह के दौरान मसूर को छोड़कर सभी दालों के खुदरा मूल्यों में कमी रही; तूर और मूंग की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई जबकि चना और उड़द की कीमतों में जून के मध्य में हल्की वृद्धि दर्ज की गई और बाद में गिरावट दर्ज की गई।

3. एथेनॉल आधारित ईंधन के लिए भारतीय मानक:

3.1 एथेनॉल आधारित ईंधन के लिए भारतीय मानक 'आईएस 17586:2021 – ई12 और ई15 ईंधन- पॉजिटिव एग्नाइटेड ईंजन पावर्ड व्हीकल्स के लिए ऐनहायड्रस एथेनॉल और मोटर गैसोलाइन के सम्मिश्रण संबंधी विनिर्देश' भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 03 जून, 2021 को अधिसूचित किये गये थे। इन मानकों से देश भर में अतिरिक्त एथेनॉल डिस्टीलेशन क्षमताओं की स्थापना को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

4. आभूषणों की हॉलमार्किंग

4.1 विभाग ने देश भर में स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2020 की हॉलमार्किंग को चरणबद्ध रूप से लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। पहले चरण में, 256 जिलों, जिनमें वर्तमान में कम से कम एक एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्र है, में स्वर्ण आभूषणों और शिल्पकृतियों के 14, 18 और 22 कैरेट के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग से स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित होने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा।